RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

No.: 29664 – 29699 Date: 5/11/22

To,

DLSA Secretary
All Rajasthan

Sub.: Minutes of virtual meeting conducted through Video Conferencing from 10:00 AM to 10.30 AM on 15.10.2022 with regard to taking stock of preparations of upcoming NLA scheduled on 12.11.2022 regarding Bank Recovery Matters and Section 138 N.I. Act Cases.

Dear Sir,

With reference to the subject cited above, the minutes of Virtual Meeting conducted through Video Conferencing on 15.10.2022 are being sent enclosed herewith for sensitizing all Stake-Holders about the modalities/ mechanism incorporated in the minutes and making optimum use thereof in order to ensure maximum disposal of **Bank Recovery Matters and Section 138 N.I. Act Cases** through amicable settlement in Lok Adalats or otherwise.

You are further requested to circulate the enclosed minutes among learned Advocated participated in above virtual meeting.

Encl.: As above

Yours Sincerely

(Dinesh Kumar Gupta)
Member Secretary

No. 29700 – 29737 Date: 5/11/22

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. Chairman, District Legal Service Authority, All Rajasthan
2. Special Judicial Magistrates (N.I. Act Cases) All Rajasthan through the Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur
3. Akhil Bhartiya Bank Vidhi Adhivakta Sangam Trust through its Managing Director

5.11.22

Special Secretary

धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों तथा बैंक ऋण वसूली के भारी मात्रा में लम्बित प्रकरणों/विद्यमान विवादों के दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होने जा रही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण के संबंध में दिनांक 15.10.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक के मीनिट्स

(Minutes of virtual meeting convened on 15.10.2022 in respect of disposal of huge pendency/existing disputes arising out of Section 138 N.I. Act cases and Bank Loan Recovery Matters through amicable settlement in upcoming NLA scheduled on 12.11.2022)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार **दिनांक 12.11.2022** को वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में दिनांक 07.10.2022 को जारी किए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों के तहत बैंक/वित्तीय संस्थानों के धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों **(मूल परिवाद/अपील/निगरानी/विविध आपराधिक याचिकाएं)** एवं बैंक रिकवरी मामलों के आपसी समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण की दिशा में कार्य–योजना तैयार कर प्रभावी कदम उठाने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म ***RSLSA-22*** एवं मोबाईल एप ***"न्याय रो साथी"*** का अधिकाधिक उपयोग करने, प्री–काउंसलिंग कैम्प के प्रभावी आयोजन, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों में आदेशिकाओं/नोटिस की प्रभावी तामील सुनिश्चित किये जाने, अधिकाधिक उपयुक्त मामले लोक अदालत में रैफर किये जाने एवं उनके निस्तारण में आने वाली कठिनाईयों, आदि बिन्दुओं ***(संलग्न एजेन्डा प्रदर्श–1)*** पर चर्चा के लिए **दिनांक 15.10.2022** को **प्रातः 10:00 से 10:30 ए.एम.** तक सदस्य सचिव, रालसा की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागी सम्मिलित हुएः–

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान
2. पीठासीन अधिकारीगण, डेजिग्नेटेड स्पेशल मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट कैसेज, समस्त राजस्थान
3. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर की ओर से रजिस्ट्रार
4. अखिल भारतीय बैंक विधि अधिवक्ता संगम ट्रस्ट के प्रतिनिधिगण
5. बैंकिंग एवं एन.आई. मामलों को डील करने वाले अधिवक्तागण (प्रत्येक जिला न्यायक्षेत्र से अधिकतम 02)।

बैठक में सभी मुददों पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के अनुसरण में (in pursuance of detailed discussion) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों की भारी पेंडेंसी के संबंध में समय–समय पर, विशेष रूप से ***Special Leave Petition (Criminal) No.5464 of 2016, Makwana Mangaldas Tulsidas Vs. State* of *Gujarat and anr.*, *निर्णय दिनांक 05.03.2020*** में व्यक्त की गई भावना (concern) के मद्देनजर बैंक/वित्तीय संस्थानों के दोनों प्रकृति **(लंबित व प्री–लिटिगेशन)** के धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत एवं ऋण वसूली से संबंधित सभी मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित हितधारकों (concerned Stake-Holders) द्वारा निम्नलिखित **महत्वपूर्ण कदम** उठाया जाना समीचीन पाया गया हैः–

A. हितधारकों में जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करना (creating awareness and sensitization among Stake-Holders):–

1. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के अनुसारः–
   i. धारा 138 एन.आई. एक्ट के मूल परिवादों में संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद की आवश्यक जांच के उपरान्त यथासंभव परिवाद पेश किये जाने के दिन ही प्रसंज्ञान आदेश पारित किया जा रहा है एवं समन जारी करने का निर्देश दिया जा रहा है।

ii. प्रसंज्ञान के बाद पहली सुनवाई की तारीख पेशी नजदीक रखी जा रही है (short date is being given)।

iii. अभियुक्त/गवाह के नाम जारी समन या अन्य आदेशिका के अदम तामील लौटने की स्थिति में आगामी उपयुक्त आदेशिका तुरन्त (यथा संभव उसी दिन) जारी की जा रही है (next appropriate process is being issued as a measure of immediate follow-up action)।

[Indian Banks Association & ors. Vs. Union of India & ors., (2014) 5 SCC 90, Para-21]

2. समन, आदि आदेशिका/लोक अदालत के नोटिस जारी करने की कार्यवाही के लिए अतिरिक्त मानव–संसाधन की आवश्यकता होने पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के साथ–साथ एनजीओ के कार्यकर्ताओं/कॉलेज छात्रों का भी (संबंधित कॉलेज/संस्थान से समन्वय स्थापित कर) सहयोग लिया जा सकेगा।
3. उपरोक्त कार्यवाही की प्रतिदिन संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जावेगी तथा अपालना (non-compliance) के मामले तत्काल अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाये जायेगें, जो पालना सुनिश्चित किये जाने के लिए अविलम्ब जरूरी प्रभावी कदम उठाएंगे।

B. न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका/लोक अदालत के नोटिस की शीघ्रातिशीघ्र तामील सुनिश्चित करना (ensuring earliest service of process issued by Court/notice of Lok Adalat):–

1. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति एवं सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों में अभियुक्त/ऋणी/अप्रार्थी के साथ–साथ गवाह पर भी न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं (समन/जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट) एवं लोक अदालत के नोटिस की तामील निम्न माध्यमों से कराई जा रही है:–

   i. राजस्थान सरकार गृह (गुप–10) विभाग के ***आदेश क्रमांक प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2020 जयपुर, दिनांक 08.03.2022, आदेश क्रमांक प.16 (01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2020 जयपुर, दिनांक 26.04.2022*** एवं ***आदेश क्रमांक प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2022 जयपुर, दिनांक 19.10.2022*** **(प्रतियां संलग्न)** के द्वारा जिला स्तर पर एवं तालुका (उपखण्ड) स्तर पर गठित विशिष्ट प्रकोष्ठ के माध्यम से,

   ii. अभियुक्त/ऋणी/अप्रार्थी पर न्यायालय द्वारा जारी समन एवं लोक अदालत के नोटिस की तामील परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पते पर जरिए डाक या ई–मेल के माध्यम से,

   [Indian Banks Association & ors. Vs. Union of India & ors., (2014) 5 SCC 590, Para-21]

   iii. प्रसंज्ञान–पूर्व एवं प्रसंज्ञान–उपरान्त क्रमशः जांच या विचारण के दौरान, परिवादी से भिन्न किसी गवाह का परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो गवाह पर समन की तामील के साथ–साथ लोक अदालत के नोटिस की तामील सामान्य ढंग (दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित) के अलावा फैक्स, ईमेल, एसएमएस मय मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप मैसेजिंग एप (messages through WhatsApp Messaging App) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे ***'टेलीग्राम'/'सिग्नल'***, आदि एप या रजिस्टर्ड डाक मय एडी के माध्यम से, **[आदेश 31, नियम 12 सामान्य नियम (सिविल एवं क्रिमिनल), 2018]**

   iv. परिवादी (चेक का अदाता), अभियुक्त/ऋणी/अप्रार्थी का ई–मेल पता अभियुक्त के बैंक, जिसमें उसका खाता है, से प्राप्त कर सकता है, [e-mail address of accused/borrower/respondent may also be obtained by

complainant (Payee of the Cheque) from accused's bank where he has an account]

[Meters and Instruments Pvt. Ltd. & anr. Vs. Kanchan Mehta, (2018) 1 SCC 506, Para-20]

v. अभियुक्त/ऋणी/अप्रार्थी पर जारी समन एवं लोक अदालत के नोटिस की तामील स्पीड पोस्ट या सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सर्विसेज के माध्यम से,

(धारा 144 एन.आई. एक्ट)

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रालसा द्वारा ***पत्र क्रमांक 372 दिनांक 06.07.2022*** के जरिए उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त मानव–संसाधन (Man with Machine and Home-guards) का मुख्य रूप से उपयोग लोक अदालत के नोटिस जारी करने के साथ–साथ न्यायालय द्वारा निर्देशित आदेशिका जारी करने के लिए किया जावेगा।

C. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी अभ्यास निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना (ensuring compliance of Practice Directions issued by Hon'ble Rajasthan High Court):–

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के ***'In Re: Expeditious Trial Of Cases Under Section 138 of N.I. Act, 1881, [2021 (2) Crimes (SC) 153]'*** के मामले में पारित किये गये निर्णय की पालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये ***परिपत्र (Circular) No.09/P.I./2021 date 19.05.2021*** में निर्देशित ***अभ्यास निर्देशों (Practice Directions)*** की कठोरतापूर्वक पालना की जा रही है। **(प्रति संलग्न)**

D. धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों का लोक अदालत में रेफरेन्स एवं समझौते की पालना सुनिश्चित करना [ensuring referral of cases arising out of Section 138 N.I. Act in Lok Adalat and compliance of settlement thereof]:–

1. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***'K.N. Govindan Kutti Menon Vs. C.D. Shaji, (2012) 2 SCC 51'*** में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति की पालना में धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत सभी मामलों (मूल परिवाद/फौजदारी अपील), विशेष रूप से जिनमें **रूपये 10.00 लाख** तक की राशि का विवाद है **(रालसा द्वारा दिनांक 07.10.2022 को जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार)**, को लोक अदालत में रैफर किया जा रहा है।
2. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके द्वारा पक्षकारान् एवं विद्वान अधिवक्तागण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***'K.N. Govindan Kutti Menon Vs. C.D. Shaji, (2012) 2 SCC 51'*** एवं ***'Gimpex Private Limited Vs. Manoj Goel, (2021 SCC Online SC 925)'*** में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उपरोक्त प्रकृति के मामलों को लोक अदालत में रैफर कराने एवं समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने पर लोक अदालत द्वारा जारी किये जाने वाले पंचाट के निष्पादन से जुडे हुए फायदों के बारे में नियमित रूप से एवं प्रभावी तौर पर जागरूक किया जा रहा है (while making the parties and their learned advocates apprised of the proposition of law laid down by Hon'ble Supreme Court in '***K.N. Govindan Kutti Menon Vs. C.D. Shaji, (2012) 2 SCC 51'*** and '***Gimpex Private Limited Vs. Manoj Goel, 2021 SCC Online SC 925',*** they are being made constantly and effectively aware of the

advantages associated with execution of the awards passed by Lok Adalat in the above nature cases referred to and settled in the Lok Adalat)।

E. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'दामोदर एस. प्रभु बनाम सैय्यद बाबालाल एच. (2010) 5 एससीसी 663' में पारित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना [ensuring compliance of directions issued by Hon'ble Supreme Court of India in 'Damodar S. Prabhu Vs. Sayed Babalal H.' [(2010) 5 SCC 663]:–

1. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि:–
   i. उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पारित किये गये दिशा–निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना की जा रही है।
   ii. उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत ***'मध्यप्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथोरिटी बनाम प्रतीक जैन व अन्य, 2014(4) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 178 (एससी)'*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के क्रम में पक्षकारान् एवं अधिवक्तागण को इस बाबत् नियमित रूप से एवं प्रभावी ढंग से जागरूक किया जा रहा है कि लोक अदालत में समझौता होने की स्थिति में **केवल लोक अदालत ही** उपरोक्त ***'दामोदर एस. प्रभु'*** वाले न्यायिक दृष्टांत के तहत अनिवार्य रूप से **देय कॉस्ट राशि को माफ** कर सकती है।
2. **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति को समय–समय पर संवेदनशील (sensitize) करते हुए यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके द्वारा उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के संबंध में पक्षकारान् एवं अधिवक्तागण को नियमित रूप से एवं प्रभावी ढंग से जागरूक किया जा रहा है।

F. हितधारियों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा एवं निगरानी (review and monitoring of endeavours being made by Stake-Holders):–

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट से उद्भूत मामलों **(मूल परिवाद/फौजदारी अपील)** एवं बैंक के ऋण वसूली से संबंधित समस्त प्रकरणों **(मूल वाद/इजराय/अपील/निगरानी/आर्बिट्रल अवार्ड की इजराय)** को आपसी समझाईश के माध्यम से लोक अदालत में निस्तारण के क्रम में समय–समय पर **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में** संबंधित न्यायिक अधिकारीगण, बैंक/वित्तीय संस्थानों के सक्षम अधिकारीगण एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के साथ व्यक्तिशः/वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करेंगे तथा ऐसे मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण में सामने आने वाली कठिनाईयों का स्थानीय स्तर पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगे।
2. स्थानीय स्तर पर समाधान ना हो पाने की स्थिति में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के उच्चाधिकारियों के साथ–साथ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी तत्काल अवगत करावेंगे।

Preparations of upcoming NLA dated 12.11.2022
Regarding Bank Recovery Matters and Section 138 NI Act Cases
(Pending and pre-litigation)
Agenda for the Virtual Meeting
Chaired by
Member Secretary, RSLSA

Date: 15.10.2022 **Time: 10:00 AM to 10:30 AM**

Participants:-

(1) Secretary, DLSA, all Rajasthan

(2) Designated Special Magistrates, NI Act cases, all Rajasthan

(3) Presiding Officer, DRT, Jaipur

(4) Representatives of Akhil Bhartiya Bank Vidhi Adhivakta Sangam Trust

(5) Maximum 02 advocates mainly dealing with Banking Matters & NI Act cases from each DLSA (nominated by Secretary, DLSA)

Agenda:-

A. Innovative features of guidelines for NLA issued on 07.10.2022

B. Optimum use of **RSLSA-22** platform (Digital Lok Adalat) with special focus on Banking Matters & NI Act cases

C. Optimum use of RSLSA's mobile app *"न्याय रो साथी"* with special focus on Banking Matters & NI Act cases

D. Effective measures towards amicable settlement of Bank Recovery Matters and Section 138 NI Act cases in view of concern being expressed by Hon'ble Supreme Court time and again, particularly in terms of ***judgement of Hon'ble Supreme Court dated 05.03.2020*** in the matter of ***Makwana Mangaldas Tulsidas vs. State of Gujarat, SLP (Criminal No. 5464/2016) (Copy enclosed)***

E. Successful convening of Pre-Counselling campaign in Bank Recovery matters and Section 138 NI Act cases by offering pre-calculated settlement amount to the borrower in terms of existing ***One-Time-Settlement/Compromise Scheme*** as agreed to during previously held meetings by RSLSA with the representatives of RBI/SLBC/Banks/ Financial Institutions ***(Minutes enclosed)***

F. Effectively ensuring service of NLA notices/processes issued by Courts in Section 138 NI Act Matters (Pending/Pre-litigation) in terms of order issued by Home Department, Government of Rajasthan No. *प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2020 जयपुर, दिनांक 08.03.2022* ***(Copy enclosed)***

G. Interaction with regard to the difficulties being encountered by all stakeholders in referring the cases in National Lok Adalat & disposal thereof

H. Other issue which may be arisen during meeting itself

****

RAJASTHAN HIGH COURT

No. 92/P.I./2021 Date : 19-05-2021

CIRCULAR

Sub. : SUO MOTO WRIT PETITION (CRL.) NO(S) 02/2020
In Re: Expeditious trial of cases under section 138 of N. I. Act, 1881.

With reference to the subject cited above, It is to inform that Hon'ble Supreme Court has passed following directions in its order dated 16.04.2021, Suo Moto Writ Petition (Crl.) No(s) 02/2020, In Re: Expeditious trial of cases under section 138 of N. I. Act, 1881:-

(i) The Courts before which appeals against the judgments in complaints u/s 138 of the Act are pending be directed to make an effort to settle the dispute through mediation.

(ii) To record reasons before converting trials of complaints u/s 138 of the N. I. Act from summary trial to summons trial.

(iii) Inquiry be conducted on receipt of complaints under Section 138 of the Act to arrive at sufficient grounds to proceed against the accused, when such accused resides beyond the territorial jurisdiction of the court.

(iv) For the conduct of inquiry under Section 202 of the Code, evidence of witnesses on behalf of the complainant be permitted to be taken on affidavit. In suitable cases, the Magistrate can restrict the inquiry to examination of documents without insisting for examination of witnesses.

(v) To treat service of summons in one complaint under section 138 forming part of transaction, as deemed service in respect of all the complaints filed before the same court relating to dishonour of cheques issued as part of the said transaction.

All the District & Sessions Judges are directed to circulate these directions to all the subordinate Courts of their judgeship for strict compliance thereof. The copy of above judgment may be downloaded from official website of Hon'ble Supreme Court for ready reference.

BY ORDER

REGISTRAR GENERAL

Gen/XV/44/2021/ 1559 Date : 19-05-2021

Copy forwarded to all District & Sessions Judges for information and necessary compliance.

REGISTRAR GENERAL

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2020 जयपुर, दिनांकः– 8/3/2022

1. समस्त पुलिस उपायुक्त,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   राजस्थान।

विषयः– दिनांक 12.03.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन बाबत धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में तामीलों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर के पत्रांकः एफ 4(197)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–I/2022/3802 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने यह अवगत करवाया है कि राज्य में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12.03.2022 (द्वितीय शनिवार) को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत आने वाले प्रकरणों के राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण के लिए अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है। न्यायालयों द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट की अभियुक्त से तामील त्वरित गति व आवश्यक रूप से हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले/तालुका में पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर ऐसे प्रकरणों की तामील हेतु एक पृथक से तामील प्रकोष्ठ का गठन हेतु लिखा है।

निर्देशानुसार आप अपने कार्यालय स्तर एवं सहायक पुलिस उपायुक्त/उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों की तामील हेतु पृथक से तामील प्रकोष्ठ बनाये जाकर इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर के पत्रांकः एफ 4(197)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–I/2022/3802 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन सचिव, गृह (विधि)

D//:My Computer/D/Katariya/National Lok Adalat Letter

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2020 जयपुर, दिनांकः– 26 APR 2022

1. समस्त पुलिस उपायुक्त,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   राजस्थान।

विषयः– धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों के लिए विशेष तामील प्रकोष्ठ गठित किये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के द्वारा समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को कार्यालय स्तर एवं सहायक पुलिस उपायुक्त/उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरणों की तामील हेतु पृथक से तामील प्रकोष्ठ बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश केवल गत राष्ट्रीय लोक अदालत तक सीमित नहीं होकर, तामील प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर रूप से धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट की अभियुक्त पर त्वरित गति और आवश्यक रूप से तामील करवाये जाने के लिए प्रभावी हैं, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में वृद्वि हो सके।

भवदीय,

ह०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर के पत्रांकः एफ 4(198)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–II/2022/8347 दिनांक 20.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन सचिव, गृह (विधि)

D/:My Computer/D/Katariya/National Lok Adalat Letter

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः प.16(01)ल.प्र./विविध/गृह–10/2022 जयपुर, दिनांकः– 19 OCT 2022

1. समस्त पुलिस उपायुक्त,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   राजस्थान।

विषयः– धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों के लिए विशेष तामील प्रकोष्ठ गठित किये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– विशेष सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 4(201)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–IV/2022/27422–27457 दिनांक 14.10.2022 क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर एवं सहायक पुलिस उपायुक्त/उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर स्थाई विशिष्ठ सैल का गठन करें, जो राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में जारी होने वाले आदेशों/निर्देशों के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता/अन्य अपर लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का निस्तारण करवा सके तथा धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट की अभियुक्त पर तामील त्वरित गति से आवश्यक रूप से करवाये ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में वृद्वि हो तथा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

भवदीय,

(युधिष्ठिर शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर के संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।

18-10-22

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

D//:My Computer/D/Katariya/National Lok Adalat Letter

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -15100/9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–एफ–07(23)/राल्सा/संस्था/एनएलए पत्राचार/2022/372 दिनांक 06/07/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(01)/विधि–2/विरस (115)/2022/224 दिनांक 04.07.2022 द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों में धारा 138, एनआई एक्ट के भारी मात्रा में लंबित फौजदारी मूल प्रकरणों एवं अपील/रिविजन का अत्यधिक संख्या में आपसी सुलह एवं समझाईस के माध्यम से राजीनामा के द्वारा निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के लिए संविदा सेवाएं दिनांक 06.05.2022 से 31.03.2023 तक के लिए, निम्नानुसार संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उसके सम्मुख अंकित संख्या में कम्प्यूटर मशीन विद् मैन एवं होमगार्ड की सेवाएं नियमानुसार लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.स.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	कम्प्यूटर मशीन विद् मैन सेवा	होमगार्ड सेवा
01.	अजमेर	05	03
02.	अलवर	04	03
03.	बांसवाडा	01	01
04.	भरतपुर	01	01
05.	भीलवाडा	05	03
06.	बीकानेर	03	02
07.	बून्दी	01	01
08.	चित्तौडगढ़	02	02
09.	चूरू	02	02
10.	दौसा	02	02
11.	धौलपुर	01	01
12.	डूंगरपुर	01	01
13.	श्रीगंगानगर	04	03
14.	हनुमानगढ़	02	02
15.	जयपुर जिला	02	02
16.	जयपुर महानगर प्रथम	07	05
17.	जयपुर महानगर द्वितीय	08	07
18.	जालोर	01	01
19.	झालावाड़	01	01
20.	जोधपुर जिला	01	01
21.	जोधपुर महानगर	07	05
22.	करौली	01	01
23.	कोटा	04	03
24.	मेड़ता सिटी	02	02
25.	प्रतापगढ़	01	01
26.	पाली	03	02
27.	राजसमंद	02	02
28.	सवाई माधोपुर	01	01
29.	सीकर	02	02
30.	सिरोही	01	01
31.	टोंक	01	01
32.	उदयपुर	06	04
	कुल	85	69

नोटः 1.उपरोक्त स्वीकृत संविदा सेवा में पूर्व में स्वीकृत संविदा सेवा सम्मिलित है।

2. उपापन के पश्चात् आवश्यकतानुसार संक्षिप्त एक दिवसीय सार्थक एवं प्रभावी प्रशिक्षण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी से दिलाया जाना सुनिश्चित करावें।

3. उपरोक्त कार्मिकों की सेवाओं का जिन कार्यों के लिए उपापन किया गया है, उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग में लिया जावें।

4. उपरोक्त कार्मिकों को पर्याप्त मात्रा में कार्य आवंटित किया जावे तथा आवंटित किये गये कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जावें।

5. उपरोक्त कार्मिकों द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट इस कार्यालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जावें।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

क्रमांकः—एफ—07(23)/राल्सा/संस्था/एनएलए पत्राचार/2022/16216-301 दिनांक 6-07-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
3. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव—प्रथम/द्वितीय कार्यालय हाजा।
4. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. लेखाधिकारी लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
8. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।